BEFORE DR. GITA RAWAT, JOINT SECRETARY & FIRST APPELLATE AUTHORITY
(Under Section 19 of RTI Act, 2005)
MINISTRY OF LAW & JUSTICE: DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS
ROOM NO. 408, 'A' WING, SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI 110001
****

Appeal No.21(155)/2013-IC **Date: 03.04.2014.**

In the matter of

Shri Bharamguru Adbhutanand Baba,
Kedarnath Nagar, Gurudwara Road,
Chas, P.O. Chas, Distt. Bokaro,
Jharkhand.

Appellant

Versus

Central Public Information Officer
Ministry of Law & Justice
Department of Legal Affairs
Shastri Bhawan
NEW DELHI – 110001

Respondent

Date: 03.04.2014

ORDER

The appellant has filed an appeal on 11.3.2014 received on 24.3.2014 under Section 19 of the RTI Act for not getting the information furnished by the CPIO, the respondent vide letter N0. 21(155)/2014 dated 25.02.2014.

Brief facts of the case:

1. The appellant vide his application dated 17.2.2014 received on 24.02.14 sought information relating to advisory nature.
2. The respondent has collected the information from the concerned sections of this Ministry and sent the reply to the appellant vide letter No. 21(155)/2014 dated 25 02.2014.
3. Being aggrieved with the information of the respondent the appellant has filed an appeal received on 24.03.2014.

4. I undersigned have been appointed as Appellate Authority in the matter on. After perusal of the facts of the case it appears that no hearing is required in this matter.

Observation

5. On perusal of the record it appears that the information furnished by the respondent vide letter dated 25.02.2014 is the substantive response for the information asked by the applicant in the original application.

6. I have assessed the facts and circumstances of the case and come to the conclusion that the CPIO, the respondent has not acted as per provisions of Act.

7. The appellant may kindly note that since the proceeding has been closed, no further hearing may be conducted in this matter. Moreover, if there is any grievance against the order of the Appellate Authority, he may file second appeal before the Hon'ble CIC sitting at 2nd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi 110066(within 90 days)i.e period as prescribed under the provision of RTI Act, 2005.

3/4/14

(DR. GITA RAWAT)
Joint Secretary & Appellate Authority
Date: 03.04.2014

Copy to:

1. Shri Bharamguru Adbhutanand Baba, Kedarnath Nagar, Gurudwara Road, Chas, P.O. Chas, Distt. Bokaro, Jharkhand.

2. Smt. Asha Sota, CPIO/Under Secretary, Deptt. of Legal Affairs.

(DR. GITA RAWAT)
Joint Secretary &
First Appellate Authority
Ministry of Law & Justice
(Deptt. of Legal Affairs)
Govt. of India, New Delhi

सेवा में,

दिनांक 11.03.2014

माननीया डा0 गीता रावत, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार,
विधि कार्य विभाग–सह–प्रथम अपीलिय अधिकारी महोदया
विधि एवं न्याय मंत्रालय, कमरा सं0 408, 'ए' विंग,
चौथा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001
दुरभाष सं0 23384777

संदर्भ :– फा0 सं0 एफटीएस 21 (155)/2014–आई0सी0, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, कार्यान्वयन कक्ष, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001, दिनांक 25.02.2014

विषय–सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रथम अपील।

महाशय,

मैं ब्रह्मगुरू श्री–श्री अद्भूतानन्द झारखण्डी बाबा उर्फ जी0 पी0 पाण्डेय, वर्तमान पता–केदार दास नगर, गुरूद्वारा रोड, चास, पो0 व थाना–चास, 827013, जिला–बोकारो, राज्य–झारखण्ड, स्थानीय पता–ग्राम– सरिषाकुड़ी, पो0–आदरकुड़ी, थाना–चन्दनकियारी, 828134 जिला–बोकारो, राज्य–झारखण्ड (भारत) का रहने वाला हूँ, हमें निम्न सम्बन्धित जानकारी बिन्दुवार देने की कृपा प्रदान करे :–

मेरे द्वारा वांछित सूचना निम्न है :–

1. मेरा सारे स्वस्थ शरीर से तमाम अंगों को विश्व रक्षक/प्रहरी (सेना) या अत्यंत गरीब को बिना मूल्य में दान देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति को मेरे शरीर के तमाम जिवित अंगों से कोई भी अंग से, किसी अंग–भंग व्यक्तियों की शरीर में देने/लगाने से वह जीवित तथा स्वस्थ रहेंगे, वैसे विश्व के रक्षक/प्रहरी (सेना) या अत्यंत गरीब व्यक्ति को मैं अपने स्वेच्छापूर्वक, स्वच्छ मन से सम्पूर्ण शरीर बिना किसी मूल्य के दान में देने को इच्छुक हूँ।
2. इस प्रकार की जिवित अवस्था में मनुष्य के शरीर को अलग कर बिना मूल्य दान में देने की भारतीय संस्कृति और संविधान अथवा अंतिम न्यायालय में अनुमति है या नहीं? अगर है तो क्या विधि–विधान है? अथवा नही है तो क्या विधि–विधान है? हमें अवश्य जानकारी दें?

मेरा परिचय :–

ब्रह्मगुरू श्री–श्री अद्भूतानन्द झारखण्डी बाबा उर्फ जी0 पी0 पाण्डेय सह राष्ट्रीय अध्यक्ष श्मशान पीठ संघ (भारत) एवं मूल भारतीय मानव समिति (भारत) संस्था के संस्थापक, उम्र–47 वर्ष, धर्म–हिन्दु (कर्मजात सह जन्मजात ब्राह्मण) दो पुत्रों बड़ा पुत्र इलेक्ट्रानिक मिस्त्री एवं छोटा पुत्र इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री के पिता, चार पोता–पोतीयों के दादा, पतिव्रता स्त्री के स्वामी, सुखी सम्पन्न परिवार, वर्तमान पता–केदार दास नगर, गुरूद्वारा रोड, चास, पो0 व थाना–चास, 827013, जिला–बोकारो (झारखण्ड), स्थानीय पता–ग्राम– सरिषाकुड़ी, पो0–आदरकुड़ी, थाना–चन्दनकियारी, 828134 जिला–बोकारो, राज्य–झारखण्ड (भारत), ग्राम से लेकर देश भर में कोई विवादग्रस्त मामला नहीं और न किसी से विवादग्रस्त सम्बन्ध है और न ही किसी सरकारी या गैर सरकारी वित्तिय संस्था से किसी प्रकार का ऋण बकाया है।

मैनें आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा, भारत, विधि अनुभाग, नई दिल्ली (भारत) 110001 को मैनें दिनांक 17.02.2014 को सूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से निम्न वांछित सूचना उपलब्ध कराने की अनुरोध की थी। मेरे द्वारा मांगी गई सूचना प्राप्ति हेतु दिशा–निर्देश देते हुये दिनांक 25.02.2014 के पत्र के माध्यम से कहा गया कि "डा0 गीता रावत, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, कमरा सं0 408, 'ए' विंग, चौथा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001, दुरभाष सं0 23384777 प्रथम अपील प्राधिकारी है एवं आपके यहाँ अपील दायर करने के लिए निर्देश दिया।

जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत् सूचना प्राप्त हेतु मैं पुनः रू0 10/– का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, जिसका सं0 06C 047815, 06C 047816, दिनांक 14.02.2014 अदा कर रहा हूँ। इस पुण्य कार्य के लिये माननीया का सदा आभारी बना रहूँगा।

संलग्न :–

1. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा, भारत, विधि अनुभाग, नई दिल्ली (भारत) 110001 को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु मेरे आवेदन दिनांक 17.02.2014 की छायाप्रति।
2. पत्रांक सं0 फा0 सं0 एफटीएस 21 (155)/2014–आई0सी0, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, कार्यान्वयन कक्ष, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001, दिनांक 25.02.2014 की छायाप्रति

आवेदक

ब्रह्मगुरू श्री–श्री अद्भूतानन्द झारखण्डी बाबा
उर्फ जी0 पी0 पाण्डेय
पता–केदार दास नगर, गुरूद्वारा रोड, चास
पो0 व थाना–चास, 827013, जिला–बोकारो
(झारखण्ड)

सेवा में,

दिनांक–17.02.2014

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
लोकसभा, भारत, विधि अनुभाग
नई दिल्ली (भारत) 110001

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् वांछित सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय (लोकसभा) आप स्वयं अथवा आपके अधीन सम्बन्धित विभाग द्वारा हमें निम्न सम्बन्धित जानकारी बिन्दुवार देने की कृपा प्रदान करे।

1. मेरा सारे स्वस्थ शरीर से तमाम अंगों को विश्व रक्षक/प्रहरी (सेना) या अत्यंत गरीब को बिना मूल्य में दान देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति को मेरे शरीर के तमाम जिवित अंगों से कोई भी अंग से, किसी अंग–भंग व्यक्तियों की शरीर में देने/लगाने से वह जीवित तथा स्वस्थ रहेंगे, वैसे विश्व के रक्षक/प्रहरी (सेना) या अत्यंत गरीब व्यक्ति को मैं अपने स्वेच्छापूर्वक, स्वच्छ मन से सम्पूर्ण शरीर बिना किसी मूल्य के दान में देने को इच्छुक हूँ;
2. इस प्रकार की जिवित अवस्था में मनुष्य के शरीर को अलग कर बिना मूल्य दान में देने की भारतीय संस्कृति और संविधान अथवा लोकसभा (विधि अनुभाग) न्यायालय में अनुमति है या नहीं? अगर है तो क्या विधि–विधान है? अथवा नही है तो क्या विधि–विधान है? हमें अवश्य जानकारी दें?

मेरा परिचय :–

ब्रह्मगुरू श्री–श्री अद्भूतानन्द झारखण्डी बाबा उर्फ जी0 पी0 पाण्डेय सह राष्ट्रीय अध्यक्ष श्मशान पीठ संघ (भारत) एवं मूल भारतीय मानव समिति (भारत) संस्था के संस्थापक, उम्र–48 वर्ष, धर्म–हिन्दु (कर्मजात सह जन्मजात ब्राह्मण) दो पुत्रों बड़ा पुत्र इलेक्ट्रानिक मिस्त्री एवं छोटा पुत्र इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री के पिता, चार पोता–पोतीयों के दादा, पतिव्रता स्त्री के स्वामी, सुखी सम्पन्न परिवार, वर्तमान पता–केदार दास नगर, गुरूद्वारा रोड, चास, पो0 व थाना–चास, 827013, जिला–बोकारो (झारखण्ड), स्थानीय पता–ग्राम– सरिषाकुड़ी, पो0–आदरकुड़ी, थाना–चन्दनकियारी, 828134 जिला–बोकारो, राज्य–झारखण्ड (भारत), ग्राम से लेकर देश भर में कोई विवादग्रस्त मामला नहीं और न किसी से विवादग्रस्त सम्बन्ध है और न ही किसी सरकारी या गैर सरकारी वित्तिय संस्था से किसी प्रकार का ऋण बकाया है।

जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत् सूचना प्राप्त हेतु रू0 10/– का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, जिसका सं0 18F 883063, दिनांक 18.12.2013 अदा कर रहा हूँ। इस कार्य के लिये आदरणीय अध्यक्ष महोदय का सदा आभारी रहूँगा।

आवेदक

ब्रह्मगुरू श्री–श्री अद्भूतानन्द झारखण्डी बाबा
उर्फ जी0 पी0 पाण्डेय
निवासी–केदार दास नगर, गुरूद्वारा रोड, चास
पो0 व थाना–चास, 827013, जिला–बोकारो (झारखण्ड)

स्पीड पोस्ट द्वारा
सूचना के अधिकार का मामला

फा0 सं0 एफटीएस21(155)/2014 –आइ0सी0
भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग,
कार्यान्वयन कक्ष

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 25.02.2014

सेवा में,

ब्रह्मगुरू श्री- श्री अद्भूतानन्द झारखण्डी बाबा
ऊर्फ जी0पी0पाण्डेय
निवासी केदारनाथ नगर, गुरूद्वारा रोड, चास
पो0 व थाना-चास 827013
जि0 बोकारो
झारखण्ड

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका पत्र दिनांक **17.02.2014** (दिनांक **24.02.2014** को विभाग में प्राप्त) के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन आवदेक को केवल उक्त अधिनियम की धारा 2 (च) में यथा परिभाषित सूचना ही उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है । आपके द्वारा मांगी गई सूचना दरअसल कानूनी राय मांगने जैसी है जो सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (च) के अधीन सूचना की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है ।

2. डा0 गीता रावत, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, कमरा सं0 408, 'ए' विंग, चौथा तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001, दूरभाष सं0 23384777 प्रथम अपील प्राधिकारी हैं । प्रथम अपील दायर करने के लिए परिसीमा की अवधि 30 दिन है ।

भवदीय

(के0गिन खन थंग)
उपसचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष : 23384706